न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 1/2015 (अवमानना प्रार्थना पत्र)

मैसर्स शर्मा क्रेशर प्लान्ट जरिये प्रोपराईटर सुनील शर्मा पिता हरीश जी शर्मा, निवासी हाउसिंग बोर्ड, बांसवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... प्रार्थी/याची

बनाम

1. शंकरलाल सालवी, तहसीलदार, आम्बापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. भूरालाल डिण्डोर, पटवारी हल्का केसरपुरा, तहसील आम्बापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. चान्दमल सोनी, भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसील आम्बापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. प्रकाश राजपुरोहित, जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2–ए

CPC बाबत् अवमानना (Contempt of court)

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक प्रार्थी/याची

———::———

निर्णय **दिनांक 02–08–2018**

यह अवमानना याचिका याची द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि जिला कलक्टर बांसवाड़ा ने अपने मुकदमा नंबर 7/15 में दिनांक 22–05–2015 को निर्णय पारित करते हुए याची को विवादित भूमि से क्रेसर प्लान्ट हटाने के सन्दर्भ में तहसीलदार के बेदखली आदेश को बहाल रखा। उक्त आदेश की अपील याची द्वारा इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 1/15 पेश की गयी, जिसमें दिनांक 01–06–2015 को इस न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर बांसवाड़ा के प्रकरण संख्या 7/15 निर्णय दिनांक 22–05–2015 की क्रियान्विती स्थगित रखते हुए रेकार्ड व मौके की दिनांक 08–06–2015 तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित करते हुए

प्रतिलिपि तहसीलदार आम्बापुरा को दिये जाने के आदेश दिये गये। याची ने न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 01–06–2015 की सूचना तहसीलदार आम्बापुरा को जरिये टेलीफोन व फैक्स से भेज दी गयी, परन्तु तहसीलदार ने मोबाईल फोन को रिसीव करना बन्द कर दिया तथा याची ने अपने परिजन के माध्यम से तहसीलदार को स्थगन आदेश की जानकारी दे दी, तब तहसीलदार ने किसी अनजान व्यक्ति से फोन पर बातचीत की एवं परिजन को जवाब दिये बिना चले गये। सूचना देने के कुछ समय बाद 4–5 जे.सी.बी. व अन्य मशीने लेकर तहसीलदार मौके पर आये एवं याची के क्रेसर प्लान्ट को गिराना शुरू कर दिया एवं प्लान्ट को नेस्तनाबूद कर विध्वंश कर दिया, जिससे प्रार्थी को 40–50 लाख रूपये का नुकसान हुआ। तहसीलदार, पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक मौके पर थे तथा कलक्टर साहब को भी स्थगन आदेश की जानकारी थी, परन्तु सभी ने मिलकर प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की गरज से कानून हाथ में लेकर स्थगन आदेश की परवाह किये बिना उक्त समस्त कार्यवाही करते हुए आपके न्यायालय के आदेश की स्पष्ट रूप से अवहेलना की है। अतएवं अवमानना याचिका स्वीकार कर विपक्षीगण को कम से कम 6 माह की सिविल कारावास से दण्डित किया जावे एवं उनकी सम्पत्ति कुर्क की जाकर प्रार्थी के प्लान्ट की पूर्ववत स्थिति कायम करायी जावे।

उक्त अवमानना याचिका प्रस्तुत होने पर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये जाने पर विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल गायरी ने उपस्थिति दी, शेष विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं हुआ तथा दिनांक 27–11–2017 के बाद विपक्षी संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए।

प्रकरण में वकील याची द्वारा आदेश 7 नियम 14 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर अतिरिक्त जिला कलक्टर बांसवाड़ा की जांच रिपोर्ट दिनांक 28–06–2016 की प्रति प्रस्तुत कर उसे रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया। न्यायहित में उक्त रिपोर्ट रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

याची द्वारा अवमानना याचिका प्रमाणित करवाये जाने के लिए अपनी स्वयं की साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसके अलावा कोई स्वतंत्र साक्ष्य

पेश नहीं की गयी। याची द्वारा इस न्यायालय के स्थगन आदेश तथा अपील मीमों की प्रति, तहसीलदार आम्बापुरा द्वारा दिनांक 26–05–2015 को याची को जारी नोटिस तथा दिनांक 01–06–2015 को मौके से बेदखल किये जाने के पर्चा मौके की प्रतिलिपि तथा क्रेसर हटाये जाने के फोटोग्राफ व अतिरिक्त जिला कलक्टर की जांच रिपोर्ट दिनांक 28–06–2016 की प्रति पेश की।

→ हमारे द्वारा याची अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता याची ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विपक्षीगण द्वारा न्यायालय की अवमानना किये जाने का प्रकरण प्रमाणित किया जाना बताते हुए सिविल कारावास की सजा दिये जाने व अन्य अनुतोष दिये जाने का आग्रह किया है।

प्रकरण में अवमानना याचिका सिद्ध करवाये जाने के लिए यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि विपक्षीगण को न्यायालय के आदेश की जानकारी होने के बावजूद उनके द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना की गयी हो। प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01–06–2015 को एकतरफा स्थगन आदेश दिया जाकर जिला कलक्टर बांसवाड़ा के बेदखली आदेश दिनांक 22–05–2015 की कियान्विती पर रोक/क्रियान्विती स्थगित किये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में हमारे समक्ष ऐसा कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे संदेह से परे अथवा स्वतंत्र साक्ष्य से यह प्रमाणित हो सके कि उक्त एकतरफा आदेश की जानकारी विपक्षीगण को हो गयी हो। दूसरी तरफ प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा इस बाबत् दिनांक 26–05–2015 को याची को तीन दिवस में उक्त अतिक्रमण हटा लेने के नोटिस जारी किये गये, जिसकी प्रति याची को प्राप्त होना भी प्रकट है। प्रकरण में दिनांक 01–06–2016 को याची के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की गयी है एवं उसी दिनांक को इस न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया गया है, परन्तु इस न्यायालय के उक्त क्रियान्विती रोके जाने के स्थगन आदेश की जानकारी विपक्षीगण को हो गयी हो, इस बाबत् कोई स्वतंत्र एवं प्रभावी साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। सिर्फ एक साक्ष्य जो अतिरिक्त जिला कलक्टर की जांच रिपोर्ट दिनांक 28–06–2016 में यह वर्णित किया गया है कि तहसीलदार द्वारा उक्त कार्यवाही जल्दबाजी में की गयी है, परन्तु उसमें यह वर्णित नहीं है कि

तहसीलदार को इस न्यायालय के स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद उनके द्वारा उक्त बेदखली की कार्यवाही की गयी हो। अवमानना प्रमाणित किये जाने के लिए विपक्षीगण को इस न्यायालय के स्थगन आदेश की जानकारी होने के बाद कोई सदोष अवमानना की जाना प्रकट होने पर ही अवमानना माने जाने का आधार माना जायेगा। इस प्रकरण में हमारे समक्ष ऐसी कोई स्वतंत्र एवं प्रभावी साक्ष्य नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि विपक्षीगण को इस न्यायालय के एकतरफा स्थगन आदेश की सूचना व जानकारी होने के बाद विपक्षीगण द्वारा बेदखली की कार्यवाही करने की अवमानना की गयी हो।

अतएवं प्रार्थी/याची द्वारा पेश अवमानना याचिका प्रार्थना पत्र प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर